



कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर



Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

पत्रांक- 845 / 12-1 दिनांक 3 अक्टूबर 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.26 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर से ऑनलाइन प्राप्त प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/48583/2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक गौचर सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.26 है० वन भूमि का निरीक्षण उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 04.09.2020 को किया गया तथा उनकी संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के प्रपत्र भाग-3 में आख्या अंकित कर प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ऑनलाइन से सादर प्रेषित है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

(बी०पी० सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी०पी० सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० गौचर, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी०पी० सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

P.T.O.

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव

28	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्तावित गौचर सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.26 है0 वन भूमि का निरीक्षण उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दि0 04.09.2020 को किया गया। इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं वृक्ष प्रजाति प्रभावित न होने पावे तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण सावधानी पूर्वक निर्धारित स्थान (डम्पिंग साईट) पर किया जाय।

तिथि 1-10-20

स्थान:- गोपेश्वर।

(बी0पी0 सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।